देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ....104......../भू अ० दिनांक : 20/07/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–कचहरी नावाडीह, थाना–पालोजोरी, थाना सं०–309, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **बाराटांड़ मोड़–रांगामटिया–पालोजोरी (एस०एच०–15 पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–कचहरी नावाडीह, थाना–पालोजोरी थाना सं०–309, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.63** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०) उ०	सीमा (भूखंड सं०) द०	सीमा (भूखंड सं०) पू०	सीमा (भूखंड सं०) प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	121	रैयती	बाडी–2	0.04	भूदेव महतो वो शंकर महतो पे० स्व० रामदेव महतो वो कामदेव महतो पे० स्व० डमर महतो। जाति रजवार, सा० देह।	साल जोर, 311	अर्जित खेसरा का अंश	अर्जित खेसरा का अंश	दोजुआ चक, 300
2	11	47	रैयती	बाडी–2	0.10	किसन महतो वो टुसन महतो पे० स्व० हरि महतो वो नारायण महतो पे० बालदेव महतो वो नरेश महतो वो मनोज महतो वो अशोक महतो वो टिंकू महतो पे० फागु महतो वो पलटन महतो वो लालु महतो पे० स्व० कारू महतो। सा० देह।				
3	11	49	रैयती	बाड़ी–2	0.11	तथैव।				
4	12	46	रैयती	बाडी–2	0.03	नीलम देवी वो पुनम देवी वो राकेश प्र० सिंह वो राजेश प्र० सिंह माता स्व० तारा देवी, ग्राम+पो० बढ़ैया, जिला–लखीसराय वो चन्द्रमा देवी, वो जय प्रकाश सिंह वो संध्या देवी वो शशि कुमार सिंह पे० स्व० विष्णु प्रसाद सिंह वो मधुसूदन प्र० सिंह वो हरगौरी प्र० सिंह पे० स्व० संत प्रसाद सिंह। सा० देह।				
5	12	122	रैयती	बाडी–2	0.35	तथैव।				
				कुल रकवा–	**0.63**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के

लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 104 / भू अ०, देवघर, दिनांक 20/01/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।